

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 169

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02035

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आदिनाथ वाटिका", प्रमोटर-आदिनाथ सिविलाईजेशन,  
द्वारा-श्री कुशल चोपड़ा, पता-ऋषभ नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-"आदिनाथ वाटिका" पता-अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/05/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 50,000/- को अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 13.05.2024 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर प्रस्तुत किया गया है। चालान की मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	